# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 56 / 2024 बउनवानी देवीलाल बैरवा **बनाम** लो.सू.अधि.एवं अति0जिला कलेक्टर,स0मा0
पुत्र श्री सुखलाल बैरवा निवासी लवकुश कॉलोनी खेरदा सवाई माधोपुर

**GCMS No-2024/149**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | [illegible] |
|---|---|---|
| 19.12.2024 | पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 30.9.2024 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *" प्रार्थी द्वारा दिनांक 23.9.2024 को नकल प्रभारी जिला अभिलेखागार को भेजकर रामचन्द्रा पुत्र सोनाथ बैरवा निवासी गिरधरपुरा तहसील चौथ का बरवाडा के नाम ग्राम नाहरी कलां क्षेत्र में ख0न0 115,116 मे 4 बीघा 5 बिस्वा के आवंटन,नामा0 संख्या 76 दिनांक 22.11.1973 एवं मिलान क्षेत्रफल, इत्यादि की सूचना"* जिला अभिलेखागार से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।<br><br>लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ.13(2)(102)सूकाअ / 2024 / 1183 दिनांक 12.12.2024 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 30.9.2024 में चाही गयी सूचना मे से मिलान क्षेत्रफल की सूचना तैयार कर दी गयी है किन्तु नामा0 संख्या 76 सें संबंधित रिकार्ड जिला अभिलेखागार मे उपलब्ध नही होने के कारण नामा0 की सूचना नही दी गयी है। जिसके संबंध मे प्रभारी अधिकारी भू.अ. के पत्रांक 3566 दिनांक 6.11.2024 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इस प्रकार आंशिक सूचना अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है।<br><br>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 30.9.2024 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना मे से आंशिक (मिलान क्षेत्रफल की) सूचना प्रभारी अधिकारी भू0अ0 द्वारा तैयार करना बताया गया है किन्तु उक्त सूचना अपीलान्ट को भिजवायी गयी है अथवा नही ? स्पष्ट अंकित नही किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू0अ0 को निर्देशित किया जाता है कि यदि मिलान क्षेत्रफल की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है तो अब उपलब्ध करवायी जावे। नामा0 संख्या 76 जिला अभिलेखागार मे उपलब्ध नही होने के कारण उक्त नामा0 की प्रति अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी गयी है। जिसके संबंध में अपीलान्ट को वस्तु स्थिति से अवगत कराया जा चुका है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।<br><br>(शुभम चौधरी)<br>जिला कलेक्टर<br>सवाई माधोपुर | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2025.06.25 18:02:02 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner